

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / ६१२ / स्था. / नगरानि / 2019

भोपाल, दिनांक ३१-१-१९

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ ७-०१/२०१६/१८-५, भोपाल दिनांक १९.०९.२०१८ द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा समूह-४ के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा २०१६ के तारतम्य में उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर चयनित निम्न अभियार्थी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्टोरकीपर के पद पर वेतनमान level 5 pay matrix २२१००-७०००० पर मूल वेतन २२१००/- पर शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

क्र	नाम/पिता/पति का नाम	लिंग	चयन सूची वर्ग	गृह जिला	स्थान जहा पदस्थ किया जाता है
१.	श्री संजय लोधी, आत्मज श्री मुकेश लोधी	पुरुष	सामान्य	शिवपुरी	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या ग्वालियर
२.	श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, आत्मज श्री रामप्रकाश शर्मा	—“—	—“—	शिवपुरी	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या उज्जैन
३.	श्री योगेश कुमार गुप्ता, आत्मज श्री मथुराप्रसाद गुप्ता	—“—	—“—	सिंगरौली	मुख्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
४.	सुश्री सुशीला धुर्वे, आत्मजा श्री अकल सिंह धुर्वे	महिला	अनु. जनजाति	मण्डला	मुख्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-३-१५/२०१२/१/३ दिनांक २४ नवम्बर, २०१२ के अनुसार, “यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सर्वान्वयन की अवधि के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी”।
- नियुक्ति कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लिंगित न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप)
- बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
- बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

६.

6. नव नियुक्त कर्मचारी, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यार्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समय सीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यार्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अभ्यार्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार निर्धारित होगा।
10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
12. अभ्यार्थी, कार्यग्रहण करने के पश्चात् संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यार्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
15. अभ्यार्थी का परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में स्थानानंतरण नहीं किया जावेगा एवं अन्य कोई स्थान पर नियुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

31/11/19

पृ.क्रमांक / 613 / रस्था. / नगरानि / 2019  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 31-1-19

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खालियर / उज्जैन।
2. श्री संजय लोधी, आत्मज श्री मुकेश लोधी, ग्रम दरगाँव, तहसील पिचोर, जिला शिवपुरी 473670,
3. श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, आत्मज श्री राम प्रकाश शर्मा पता— 343 डीएके बंगला, शिवपुरी रोड, पॉल कॉलोनी पिचोर 473995,
4. श्री योगेश कुमार गुप्ता, आत्मज श्री मथुराप्रसाद गुप्ता पता— एम.क्यू 231, सी.डब्ल्यू.एस जयंत, इंदिरा मॉकेट, सिंगरौली 486890,
5. सुश्री सुशीला धुर्वे, आत्मज श्री अकल सिंह धुर्वे पता:- 115, वसुंधरा बिल्डिंग, सुरेन्द्र पैलेस, भोपाल 462026,

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
7. व्यक्तिगत नस्ती।
8. रोस्टर लिपिक।

31/1/19  
संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश<sup>म.प्र.</sup>  
भोपाल